**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.**
**राजस्व वादपत्र संख्या :– 35/2026**

01. अब्दुल सतार पुत्र मीरणखां जाति मुसलमान निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .....वादी

**बनाम**

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ..........प्रतिवादी

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट**

**निर्णय** **दिनांक :–19.03.26**

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 6 केजेडी बी मु0नं0 81/39 के किला नं0 1 ता 5, 18 ता 23 में कुल 2.6301 हैक्टर कमाण्ड व चक 8 केजेडी बी मु0नं0 123/11 के किला नं0 4 ता 25 में 5.4374 हैक्टर व मु0नं0 102/32 के किला नं0 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 2.9589 हैक्टर कमाण्ड रकबा खातेदारी शुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के रकबा चक 6 केजेडी बी मु0नं0 81/39 के किला नं0 1 ता 5, 18 ता 23 में 2.6301 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सतार पुत्र मीरण खां है तथा रकबा चक 8 केजेडी बी मु0नं0 123/11 की 5.4374 हैक्टर व मु0नं0 102/32 की 2.9589 हैक्टर रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अब्दुल सतार पुत्र मीरणखां दर्ज है। वादी के नाम से कृषि भूमि अलग–अलग दो चको में है तथा दोनो चको में वादी का नाम अलग है। वादी के उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में नाम अलग–अलग होने तथा नाम में भिन्नता होने के कारण वादी उक्त रकबा से संबंधित किसी प्रकार की सरकारी योजनाएं व सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। वादी के रकबा चक 6 केजेडी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम सतार पुत्र मीरण खां है तथा 8 केजेडी बी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां है तथा वादी के समस्त फोटो पहचान के दस्तावेजो आधारकार्ड, पहचानपत्र, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, राषनकार्ड, बैंक पासबुक आदि सभी दस्तावेजों में वादी का नाम अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां है। वादी ने अपने नाम के रकबा 6 केजेडी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम अब्दुल सतार पुत्र मीरण खां दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी के समक्ष आवेदन किया तथा कहा कि उक्त दोनो चको में वादी का नाम अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां एक समान किया जावे तब प्रतिवादी ने कहा कि आप नाम दुरूस्ती के लिए सक्षम न्यायालय से आदेष लेकर आओ जब तक कोई सक्षम अधिकारी का आदेष नहीं लाओगे तब तक आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती नहीं किया जावेगा। अतः वादपत्र पेष कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा चक 6 केजेडी बी मु0नं0 81/39 के किला नं0 1 ता 5, 18 ता 23 में 2.6301 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सतार पुत्र मीरण से दुरूस्त कर अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां करने की घोषणा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, पैनकार्ड, बैक पास बुक की प्रति प्रस्तुत की। ग्राम पंचायत सामरदा नौसेरा की तस्दीक प्रस्तुत की जिसमें लिखा है कि सतार खां व अब्दुल सतार दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। चक 8 केजेडी बी मु0नं0 102/32 के दूसरे रकबे की जमाबंदी प्रस्तुत की उसमें प्रार्थी का नाम अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां ही अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/ शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 6 केजेडी बी मु0नं0 81/39 के किला नं0 1 ता 5, 18 ता 23 में 2.6301 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम सतार पुत्र मीरण की जगह अब्दूल सतार पुत्र मीरण खां संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सतार पुत्र मीरण नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सतार पुत्र मीरण नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सतार पुत्र मीरण ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)